

**महाराष्ट्र विधानसभा**  
**वैधानिक प्राधिकाराखाली विधानसभेसमोर ठेवलेल्या कागदपत्रांची यादी**  
**द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशन, २०२५**

- टीप :- (१) अनुक्रमांक १ वरील अधिसूचना सन २०२५ च्या प्रथम (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन कालावधीत महाराष्ट्र विधानसभेसमोर ठेवण्यात आली होती. परंतु स्तंभ (५) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या संबंधित अधिनियमातील तरतुदीनुसार या अधिवेशनात देखील या अधिसूचनांमध्ये फेरफार करता येईल किंवा त्या रद्द करता येतील.
- (२) यादीच्या स्तंभ (५) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या संबंधित अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार स्तंभ (२) मध्ये उल्लेखिलेल्या ज्या नियमात फेरफार करता येतील किंवा ते रद्द करता येतील, त्या नियमात फेरफार करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावांच्या सूचना, महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९० अन्वये देता येतील.

| अ.क्र. | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अधिसूचना<br>विधानमंडळ<br>सचिवालयास<br>सादर<br>झाल्याचा<br>दिनांक | अधिसूचना<br>विधानसभा<br>सभागृहासमोर<br>ठेवल्याचा<br>दिनांक | अधिसूचना विधानसभेत<br>ठेवण्यासाठी वैधानिक<br>प्राधिकार<br>व<br>कालावधी                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (१)    | (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (३)                                                              | (४)                                                        | (५)                                                                                                |
| १      | महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ च्या अनुसूचीमधील नोंद ७ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या खैर झाडाच्या संदर्भातील सर्व तरतूदीमधून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग (दोडामार्ग तालुका वगळून) जिल्ह्यांच्या स्थानिक क्षेत्रांना सूट देण्याबाबतची प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक टीआरएस - १० / २०२४ / प्र.क्र.२८३ / फ - ६ दिनांक २७ जानेवारी, २०२५ | २५ फेब्रुवारी, २०२५                                              | ३ मार्च, २०२५                                              | महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ (कलम १५ मधील पोट कलम २) अन्वये (३० दिवसांसाठी) |
| २      | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्ततेची चौकट) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक विनिआ/ तांत्रिक/ विनियम/३७८, दिनांक २१ जून, २०२४.                                                                                                                                                                                            | २२ एप्रिल, २०२५                                                  | ३० जून, २०२५                                               | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये (शक्य तितक्या लवकर)                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |                                                                  |
| ३ | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मितीकरिता पुर्वानुमान, काल व परिणाम निर्धारण (शेड्युलिंग) आणि तफावतीची हिशोबपूर्ती) (पहिली सुधारणा) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/तांत्रिक/विनियम/ ०३९४, दिनांक ४ जुलै, २०२४.                                                                                                                    | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |
| ४ | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (मे. एसईझेड बायो-टेक सर्व्हिसेस प्रा.लि. च्या हडपसर गाव, जिल्हा पुणे येथील जैव-तंत्रज्ञान आणि औषधनिर्माण क्षेत्राकरिता क्षेत्र-सापेक्ष विशेष आर्थिक क्षेत्राला लागू असलेल्या वीज वितरण परवान्याच्या विशिष्ट अटी) विनियम २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/तांत्रिक/परवाना अटी/एसईझेड बायो-टेक-हडपसर /२०२४-२५, दिनांक २४ जुलै, २०२४. | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |
| ५ | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वीज मागणीची लवचिकता आणि वीज मागणी व्यवस्थापन-अंमलबजावणीची चौकट, खर्चाच्या परिणामकारकतेचे निर्धारण आणि मूल्यांकन, परिमापन आणि पडताळणी) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/तांत्रिक/विनियम/२०२४/७०२, दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२४.                                                                                               | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |
| ६ | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (ग्रीडला जोडलेली परस्पर-सक्रिय छपरावरील नूतनशील ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा) (दुसरी सुधारणा) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/तांत्रिक/ विनियम/०५३७, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२४.                                                                                                                                                     | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |
| ७ | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल) (पहिली सुधारणा) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/तांत्रिक/ विनियम/०३९४, दिनांक २२ मे, २०२४.                                                                                                                                                                                  | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                  |
| ८  | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (मे.एसईझेड बायो-टेक सर्व्हिसेस प्रा.लि.च्या गाव-मांजरी बुद्रुक, जिल्हा पुणे येथील पुनावाला बायोटेक्नॉलॉजी पार्ककरिता क्षेत्र-सापेक्ष एसईझेडसाठी लागू असलेल्या वीज वितरण परवान्याच्या विशिष्ट अटी) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/तांत्रिक/ परवाना अटी/एसईझेड बायो-टेक-मांजरी/२०२४-२५, दिनांक २४ जुलै, २०२४. | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |
| ९  | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहिता, वितरण परवानाधारकांच्या कृतीची मानके आणि पॉवर क्वालिटी) विनियम, २०२१ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/लीगल/२०२१/६६, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१.                                                                                                                                                     | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |
| १० | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहिता, वितरण परवानाधारकांच्या कृतीची मानके आणि पॉवर क्वालिटी) (पहिली सुधारणा) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/तांत्रिक/ विनियम/२०२४/०४०२, दिनांक ५ जुलै, २०२४.                                                                                                                              | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |
| ११ | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/तांत्रिक/विनियम/२०२५/०६८, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२४.                                                                                                                                                                                                         | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |
| १२ | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (कर्मचाऱ्यांची सेवा-भरती आणि सेवा-शर्ती) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/प्रशा/२०२४/०५८९, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२४.                                                                                                                                                                                          | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |
| १३ | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (कामकाजाचे नियम आणि शुल्क व आकार) विनियम, २०२२ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक मविनिआ/                                                                                                                                                                                                                                           | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये<br>(शक्य तितक्या लवकर) |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |              |                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | लिगल/२०२२/०४८६, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२२.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |                                                                                                                 |
| १४ | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (कामकाजाचे नियम आणि शुल्क व आकार) (पहिली सुधारणा) विनियम, २०२४ प्रसिध्द करणारी अधिसूचेना क्रमांक मविनिआ/लिगल/२०२४/०५७०, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२४"                                                                                                                             | २२ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८२ अन्वये (शक्य तितक्या लवकर)                                                   |
| १५ | महाराष्ट्र वन नियमावली, २०१४ च्या प्रयोजनांसाठी अधिसूचित प्रजाती म्हणून "खैर (अँकेशिआ कॅटेच्यू) " ज्याच्या इमारती लाकडाचा घेर सर्वाधिक जाडीच्या भागावर पंचवीस सेटीमीटरपेक्षा अधिक आहे त्यास अधिसूचित करित असणारी प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक टीआरएस - ०२/२०२४/ प्र.क्र.२८ /फ - ६ दिनांक २६ मार्च, २०२५. | २८ एप्रिल, २०२५ | ३० जून, २०२५ | महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ (कलम १५ मधील पोट कलम २ (३० दिवसांसाठी)                      |
| १६ | महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगाराचे व सेवा शर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२३ प्रसिध्द करणारी अधिसूचना क्रमांक इबांका ०५२३/ प्र.क्र.७६ /कामगार-७, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२३.                                                                                                                 | २६ जून, २०२५    | ३० जून, २०२५ | इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगाराचे व सेवा शर्तीचे विनियमन) अधिनियम १९६६ चे कलम ६२ (३) अन्वये (३० दिवसांसाठी) |

विधान भवन,  
मुंबई.

दिनांक : ३० जून, २०२५

जितेंद्र भोळे,  
सचिव - १

महाराष्ट्र विधानसभा.